وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

तर्जुमा :– " और फर्मा दें कि : हक़ आ पहुँचा और बातिल मिट गया बेशक बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। "

(सूरः इसरा आयत नं0 81)

अवाम मे मशहूर ग़लत बातें।

मुरत्तब

मुहम्मद मोनिस हनफ़ी साहब

تقریظ

حضرت مولانا محمد نواب علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم

(بانی و مہتمم مدرسہ رشیدیہ ، احمد نگر ، سیتاپور)

محترم مولوی [illegible] نے اس اپنی تحریر کو بہت ہی خوب بنایا اللہ تعالیٰ
موصوف کو اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے بڑی اچھی اور ضروری
باتیں بیان کی ہیں عوام میں جہالت کی وجہ سے بہت بگاڑ پیدا ہے
اگر اسی طرح جب کوئی خلاف شرع کوئی چیز دیکھے تو
دیکھنے والے کو چاہئے بہ حد اپنی حیثیت حالت اس کی اصلاح
کی فکر کوشش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
تم میں سے کوئی خلاف شرع دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس کو
اپنے ہاتھ سے دور کرے اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے منع کرے
لکھنا بھی اسی میں شامل ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے
برا جانے اس تیسرے کو یعنی دل سے برا جاننے کو فرمایا ہے یہ
اضعف الایمان ہے اگر یہ بھی نہیں کر رہا ہے تو ایمان کی
شان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ موصوف کو زیادہ سے زیادہ
اس کی توفیق عطا فرمائے آمین

محمد نواب علی قاسمی خادم مدرسہ رشیدیہ متصل ستی اسٹیشن
سیتاپور

نواب علی

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुहम्मद नवाब अली साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम

(बानी व मोहतमिम मदरसा रशीदिया , अहमद नगर , सीतापुर।)

मोहतरम मुहम्मद मोनिस साहब ने अपनी इस तहरीर को मुझे हर्फ़ ब हर्फ़ सुनाया, अल्लाह तआला मौसूफ़ को इसकी इशाअ़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए , बड़ी अच्छी और ज़रूरी बातें बयान की हैं, अवाम में जिहालत की वजह से बहुत बिगाड़ पैदा है, अगर इसी तरह जब कोई ख़िलाफ़े शरअ़ कोई चीज़ देखे तो देखने वाले को चाहिए कि वह अपनी हस्ब–ए–हालत उसकी इस्लाह की ज़रूर कोशिश करे, हुज़ूर–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है – कि जब तुम में से कोई , ख़िलाफ़–ए–शरअ़ काम देखे, तो उसको चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोक दे , अगर यह न हो सके तो अपनी ज़ुबान से कहे यह बुरा है, लिखना भी इसी में शामिल है, और अगर यह भी न हो सके तो दिल से बुरा माने , इस तीसरे को (यानी) अपने दिल से बुरा मानने को फ़रमाया है कि अज़ाफुल ईमान (कमज़ोर इमान) है। अगर (कोई) यह भी नहीं कर रहा है , तो इमान की शान के खिलाफ़ है। अल्लाह तआला मौसूफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन !

इन्तिसाब

हर मुसन्निफ़ अपनी किताब का किसी न किसी की तरफ़ इन्तिसाब किया करता है, बन्दा भी इस किताब का इन्तिसाब वालिदा मोहतरमा की तरफ़ करता है, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआ़ाला ने इस लायक़ बनाकर इस काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई !

अहक़र !

फ़ेहरिस्त उनवानात

मज़ामीन **सफः नं.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العالمین و الصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ، اما بعد !

अक़ीदे की अहमियत

तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, जो हमारा खालिक़ और मालिक है, और उसका हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान यह है , कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया है। मुसलमान के लिए अक़ायद की सही होना बहुत ज़रूरी है, अगर अक़ायद दुरूस्त हों तो अल्लाह तआला बन्दे का छोटे से छोटा अमल भी कुबूल फर्मा लेते हैं। लेकिन अगर उसके अक़ायद या उनमें से एक भी अक़ीदा दुरूस्त न हो तो क़ियामत के दिन उसके तमाम आमाल ग़ारत (बेकार) हों जाएँगे , अल्लाह तआला आमाल में होने वाली कोताही तो जिस की चाहेंगे माफ़ फ़र्मा देंगे लेकिन शिर्क (यानी अक़ीदे की कोताही) की माफ़ी की , उस के वहाँ गुन्जाईश नहीं है। इस बात से बखूबी अन्दाज़ा हो सकता है कि अक़ीदे की इस्लाह और दुरूस्तगी इस्लाम में कि क़द्र ज़रूरी है।

(सिरात –ए –मुस्तकीम सफः 30 तालीमुल अक़ायद सफः 1)

अक़ीदा किसे कहते है ?

❖ अक़ीदा के लफ़्ज़ी मानी बाँधने के है दीन व मज़हब से मुताल्लिक़ वह नज़रियात जो दिल में जमा लिए जाएँ अक़ीदे कहलाते हैं।
(तालीमुल अक़ायद सफः 12)

शिर्क माफ़ नहीं

कुरआन –ए– करीम में अल्लाह तआला का इर्शाद है :–

बेशक़ अल्लाह इस बात को माफ़ नही करता कि , उस के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और उस से कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है और जो शख़्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, वह ऐसा बोहतान बाँधता है जो बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है।

(सूरः निसा आयत नं0 48)

जन्नत और दोज़ख़ में दाख़िला

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि) से रिवायत है कि मैने रसूल–ए– अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह इर्शाद फ़रमाते हुए सुना : जो शख़्स अल्लाह तआला से इस हाल मे मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो वह जन्नत में दाखिल होगा और जो शख़्स अल्लाह तआला से इस हाल में मिले कि वह उसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो वह दोज़ख में दाखिल होगा।
(मुन्तख़ब अहादीस सफ़: 30, मुस्लिम)

बन्दों पर अल्लाह का हक़

हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि) से रिवायत है कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फरमाया : मुआज़ तुम जानते हो कि बन्दों पर अल्लाह तआला का क्या हक़ है ? और अल्लाह तआला पर बन्दों का क्या हक़ है , मैंने अर्ज़ किया : अल्लाह तआला और उनके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया : बन्दों पर अल्लाह तआला का हक़ यह है कि उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें और अल्लाह तआला पर बन्दों का पर हक़ यह है कि जो बन्दा उसके साथ किसी को शरीक न करें, उसे अज़ाब न दें।
(मुन्तख़ब अहादीस सफ़: 32, मुस्लिम)

शिर्क किसे कहते हैं ?

- **शिर्क उसे कहते है कि खुदा तआला की ज़ात या सिफ़ात में दूसरे को शरीक करे।**

सवाल :– ज़ात में शरीक करने के क्या मानी हैं ?

जवाब :– ज़ात में शरीक करने के मानी यह हैं कि दो तीन खुदा मानने लगे , जैसे ईसाई कि तीन खुदा मानने कि वजह से मुश्रिक हैं , और जैसे आतिश्क परस्त कि दो खुदा मानने की वजह से मुश्रिक हैं। और जैसे बुत परस्त कि बहुत से खुदा मानकर मुश्रिक होते हैं।

सवाल :– सिफ़ात में शरीक करने के क्या मानी हैं ?

जवाब :– सिफ़ात में शरीक करने के मानी यह है कि : खुदा की सिफ़ात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफ़त साबित करना शिर्क है, क्योंकि किसी मख़्लूक़ में ख़्वाह वह फ़रिशता हो या नबी, वली हो या शहीद, पीर हो या इमाम, खुदा तआला की सिफ़तों की तरह कोई सिफ़त नहीं हो सकती।

❖ सिफ़ात में शिर्क की क़िस्में

(1) शिर्क फिल कुदरत

यानी खुदा तआला की तरह सिफ़्त–ए–कुदरत किसी दूसरे के लिए साबित करना मसलन यूँ समझना कि फुलाँ पैग़म्बर या वली या शहीद वगैरह पानी बरसा सकते हैं या बेटा–बेटी दे सकते हैं। या मुरादें पूरी कर सकते हैं। या रोज़ी दे सकते हैं , या मारना–जिलाना उनके क़ब्ज़े में है , या किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचाने पर कुदरत रखते हैं , यह तमाम बातें शिर्क हैं।

(2) शिर्क फिल इल्म

यानी खुदा तआला की तरह किसी दूसरे के लिए सिफ़्त–ए–इल्म साबित करना, मसलन् यूँ समझना कि खुदा तआला तरह फुलाँ पैग़म्बर या वली वग़ैरह ग़ैब का इल्म रखते थे, या खुदा की तरह ज़र्रेह–ज़र्रेह का उन्हें इल्म है या हमारे तमाम हालात से वाक़िफ हैं या दूर व नज़दीक की चीज़ों की ख़बर रखते हैं। यह सब शिर्क है।

(3) शिर्क फ़िस–समा वल बसर

यानी खुदा तआला की सिफ़्त–ए–समा या बसर में से किसी दूसरे को शरीक करना मसलन् यह ऐतक़ाद रखना की फुलाँ पैंग़म्बर या वली ये हमारी तमाम बातों को दूर से सुन लेते हैं या हमें और हमारे कामों को हर जगह से देख लेते हैं सब शिर्क है।

(4) शिर्क फिल इबादत

यानी खुदा तआला की तरह किसी दूसरे को इबादत का मुस्तहिक़ समझना मसलन् किसी क़ब्र या पीर को सजदा करना या किसी के लिए रूकू करना, या किसी पीर, पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) वली , ईमाम के नाम का रोज़ा रखना या किसी की नज़र और मन्नत माननी या किसी कब्र या मुर्शिद के घर का खाना–ए–काबा की तरह तवाफ़ करना, यह सब शिर्क फिल इबादत है।
(तालीमुल इस्लाम, जिल्द 4, सफ़ः –20–21)

बिदअ़त किसे कहते हैं ?

बिदअ़त उन चीजों को कहते हैं जिन की अस्ल शरिअ़त से साबित न हो यानी कुरआन–ए–करीम, हदीस शरीफ में उसका सुबूत न मिले और रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा–ए–किराम और ताबईन और तबअ़ ताबईन के ज़माने में उस का वजूद न हो और उसे दीन का काम समझ कर किया या छोड़ जाए।
(तालीमुल इस्लाम, जिल्द 4, सफ़ः 22)

बिदअ़ती किसे कहते है ?

बिदअ़ती के माअ़नी हैं दीन में नई बात पैदा करने वाला '"
(हुस्नुल्लुग़ात सफ़ः 102)

(1) हर बिदअ़त मरदूद (क़ाबिल–ए–रद) है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया : जिस ने हमारे इस दीन मे कोई ऐसी नई बात निकाली जो उस में नहीं है, तो वह मरदूद है।
(बिदअ़त और बिदअ़ती, सफ़ः बुखारी शरीफ जिल्द 2, सफ़ः 1092, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, सफ़ः 77)

(2) बिदअ़ती का कोई अमल अल्लाह तआला के वहाँ कुबूल नहीं है।

हज़रत अबू हुजैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फरमाया : अल्लाह तआला न किसी बिदअ़ती का रोज़ा कुबूल करता है। न हज न उमराह और न जिहाद और न कोई फ़र्ज़ इबादत कुबूल करता है, न नफ़्ल। बिदअ़ती इस्लाम से ऐसे ख़ारिज हो जाता है, जैसे गूँधे हुए आटे से बाल निकल जाता है।
(बिदअ़ते और बिदअ़ती , सफ़ः 74, इब्न–ए–माजा, सफ़ः 6)

(3) सुन्नत से महरूमी

रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इर्शाद–ए–मुबारक है : कि जब किसी क़ौम ने कोई बिदअ़त निकाली तो अल्लाह तआला उस कौम से सुन्नत उठा लेता है। और वह (क़ौम) सुन्नत की बरकत से महरूम हो जाती।
(अहमद / बज़्ज़ार)

(4) बिदअ़ती को तौबा की तौफ़ीक़ ही नहीं होती।

ईमाम–ए–अहले सुन्नत शेख़ुल हदीस व तफ़्सीर हज़रत मौलाना सरफ़राज़ खान सफ़दर (रहमतुल्लाहि अलैह) फरमाते हैं। " बिदअ़त ऐसी क़बीह, बुरी और मनहूस चीज़ है कि इन्सान के दिल में फ़ितरी तौर पर जो नूरानियत और सलाहियत होती है। बिदअ़त उस को भी ख़त्म कर देती है। और उस की नहूसत का असर यह होता है कि तौबा की तौफ़ीक़ ही नहीं होती। "
(राह–ए–सुन्नत सफः 73)

(5) बिदअ़त के बारे में मुफ़्ती–ए–आज़म पाकिस्तान क्या फ़रमाते हैं ?

मुफ़्ती–ए–आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब (रह.) फरमाते हैं " यकीन कीजिए कि इबादत का जो तरीका रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा–ए–किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने अख़्तियार नहीं किया , वह देखने में कितना ही दिलकश और बेहतरीन नज़र आए , लेकिन वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नज़दीक अच्छा नहीं।

सुन्नत किसे कहते हैं ?

वह तरीक़–ए–ज़िन्दगी जिस पर नबी–ए–करीम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सहाबा–ए–किराम ने हमेशा अमल किया हो।

(1) सुन्नत को मज़बूती से थामने और बिदअ़त से इज्तिनाब (बचने) की ताकीद

हज़रत इरबाज़ बिन सारियह (रज़ि) फ़रमाते हैं कि एक बार हुज़ूर–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हमें नमाज़ पढ़ाई और फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) नें ऐसा उम्दा वाज़ फ़र्माया , जिससे आँखे बहने लगी और दिल काँपने लगे। एक शख़्स ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह तो जाने वाले और अलविदा कहने वाले की नसीहत मालूम होती है। तो आप हमें कुछ वसीयत फ़र्मा दें।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया : " मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह तआला से डरते रहना अमीर इताअ़त करते रहना अगरचे वह गुलाम ही क्यों न हो , जो शख़्स तुम में से मेरे बाद ज़िन्दा रहा वह बहुत से इख़्तिलाफ़ात देखेगा , पस ! तुम मेरी और मेरे

खुलफ़ा–ए–राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना और उन्हें गिरह लगाकर दाढ़ों के साथ मज़बूती से पकड़कर रखना और दीन में नयी पैदा होने वाली चीज़ो वाली से बचना इसलिए कि दीन में हर नयी पैदा होने वाली चीज़ बिदअ़त हैं। और हर बिदअ़त गुमराही है। ”
(सिरात–ए–मुस्तक़ीम सफ़: 28, सुनन अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़: 290)

(2) सुन्नत पर क़ायम रहने पर 100 शहीदों का सवाब

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि) बयान करते हैं कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया :– फ़ित्ना और फ़साद के ज़माने में जो शख़्स मेरी सुन्नत पर मज़बूती से क़ायम रहेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। (बैहक़ी)

(3) सुन्नत से मुँह फ़ेरने पर वईद

रसूल –ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इर्शाद है :– जिसने मेरी सुन्नत से ऐराज़ किया (मुँह फेरा) वह मुझ से नहीं।
(मुस्लिम)

(4) सुन्नत और बिदअ़त एक दूसरे के मुताक़ाबिल हैं।

हकीमुल अस्र मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ लुधयानवी शहीद (रह.) फ़रमाते हैं :– ” सुन्नत और बिदअ़त बाहम (आपस में) मुताक़ाबिल हैं। जब यह कहा जाएगा कि फुलाँ चीज़ सुन्नत है , इसका मतलब यह होता है कि यह बिदअ़त नहीं है , और जब यह कहा जाए कि यह चीज़ बिदअ़त है तो इसके दूसरे मानी यह होते हैं कि यह चीज़ खिलाफ़–ए– सुन्नत है ।
(इख़्तिलाफ़–ए–उम्मत और सिरात –ए– मुस्तक़ीम जिल्द 1, सफ़: 78)

(5) सुन्नत हर जगह एक होती है और बिदआ़त हर जगह अलग–अलग होती हैं।

हकीमुल इंस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तय्यिब साहब (रह.) फरमाते है । जिस क़ौम में बिदअ़त आएगी उसमे दंगा , फसाद और झगड़ा ज़रूर आएगा। यह बिदअ़त का ख़ासा है , सुन्नत में कोई झगड़ा नहीं , सुन्नत तो एक ही है , जिसका जी चाहे अमल करे और बिदआ़त हर जगह अलग अलग है ।
(ख़ुतबात –ए– हकीमुल इस्लाम जिल्द 8, सफ़: 451)

(6) सुन्नत की अहमियत और बिदअ़त का वबाल

अहवालुल क़ियामः में अल्लामा ज़ैनुद्दीन बिन रजब (रह.) ने लिखा है कि एक मर्तबा उनके पास एक ऐसा शख़्स आया जो कफ़न चोर था , मगर अब वह इस क़बीह हरकत से बाज़ आ चुका था और तौबा करके नेकी की ज़िन्दगी गुज़ार रहा था , अल्लामा ज़ैनुद्दीन (रह.) ने उससे पूछा कि तुम मुसलमानों के कफ़न चुराते रहे हो तो तुम ने मरने के बाद उनकी हालत देखी है , यह बताओ कि जब तुमने उनके चेहरे खोले तो उन का रूख़ किस तरफ़ था ? उसने जवाब दिया कि अक्सर चेहरे क़िब्ले की रूख़ से फ़िरे हुए थे । हज़रत ज़ैनुद्दीन (रह.) को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि दफ़न करते हुए मुसलमानों का चेहरा क़िब्ला रूख़ किया जाता है , उन्होंने ईमाम औज़ाई (रह.) से इस बारे में पूछा तो ईमाम औज़ाई (रह.) ने पहले तो तीन बार (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ा फ़िर फ़रमाया कि ये वो लोग होंगे , जो अपनी ज़िन्दगी में सुन्नतों से मुँह फ़ेरने वाले थे ।
(खुज़ैना ,सफ़ः 292 , बिदअ़त और बिदअ़ती सफ़ः 438)

तम्बीह :– अहले बिदअ़त के लिए सोंचने का मक़ाम है कि आज तो तावीलें करके बिदआ़त को दीन साबित कर रहे हैं , लेकिन क़ब्र में अपने आप को किस तरह बचाएँगे। यह बिदअ़त का वबाल है , कि दुनिया में रसूल–ए– अकरम (सल्लालाहु अलौहि व सल्लम) की सुन्नतों से मुँह फ़ेरकर ख़्वाहिशात की ताबेदारी की तो क़ब्र में अल्लाह तआला क़िब्ला से उसका मुँह फ़ेर देते हैं।
(अल्लाह हम सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन।)

ध्यान दें !

मोहतरम क़ारईन ! जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि शिर्क और बिदअ़त किसे कहते हैं, कि शिर्क कितना बड़ा जुर्म है , कि जिसकी माफ़ी आख़िरत में नहीं है। और बिदअ़त ऐसा संगीन गुनाह है जिससे तमाम आमाल तक ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि अक़ायद में बिदअ़त इनसान को शिर्क तक पहुँचा देती है, आजकल तरह–तरह की बिदअतें हमारे मुआशरे में राएज हैं, मौजूदा दौर में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में एक वज़ाइफ की किताब जो कि पाकिस्तानी पंजसूरह के नाम से मशहूर है यह पंजसूरह हमारे अक्सर घरों में पढ़ा जाता है और इसमें दिए वज़ाईफ को हमारे घर की औरतें अपना मामूल बना लेती हैं। क्योंकि यह बात इन्सान की फ़ितरत में से है कि वह किसी चीज़ के फ़ज़ाईल और फ़वाईद (फ़ायदे) सुनकर उसको अपने अमल मे ले आता है। और बड़ा ज़ौक व शौक से उस पर अमल शुरू कर देता है, लेकिन हमाने घर के अफ़राद अरबी के मानी नहीं समझते, कुरान–ए–करीम का पैग़ाम तो क्या नमाज़ में पढ़ी जाने वाली रूकू और सजदों की तस्बीहात के मानी से भी ना वाक़िफ़ हैं। एक शख़्स सुबह को कुरआन–ए–करीम की तिलावत करता है और आयत (ला नतुल्लाहि अलल् काज़िबीन) पढ़ता है। यानी झूठों पर अल्लाह की लानत और शाम होते होते झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि जो सुबह आयत पढ़ी उस आयत के मानी उसके इल्म में नही होते तो झूठ बोलते वक़्त कुछ याद भी नहीं आता , जो झूठ से रूके , ठीक उसी तरह पाकिस्तानी पंजसूरह के बाज़ वज़ाईफ़ हम पढ़ते भी हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बताते हैं, लेकिन दीन का इल्म कम होने की वजह से, यह कि उस वज़ीफ़े में क्या कहा गया है उसका तर्जुमा, मतलब और मानी क्या हैं, इस पाकिस्तानी पंजसूरह के दुरूद व वज़ाइफ़ सही भी हैं या बग़ैर सनद के है उनका पढ़ना सही है या गलत इस बात से हम बिल्कुल ही बे ख़बर हैं।

पकिस्तानी पंजसूरह के वज़ाइफ़

पाकिस्तानी पंजसूरह में मौजूद वज़ाईफ़ में बहुत से कलिमात ऐसे हैं जिसमें साफ़—साफ़ शिर्क मौजूद है और बहुत से अमलियात ऐसे हैं जो बिदअ़त है और पाकिस्तानी पंजसूरह में लिखी फज़ाईल की बहुत सी रिवायतें पूरी तरह से मनगढ़त (बग़ैर सनद) हैं। जिनसे हम सबका बचना बहुत ज़रूरी है।

☞ आइए नज़र डालते हैं।

दुरूद—ए—ताज

पाकिस्तानी पंजसूरह में मौजूद दुरूद—ए—ताज जो कि अवाम में बहुत मशहूर है। जिसकी ख़ासियत में पाकिस्तानी पंजसूरह में लिखा गया है कि, इसके पढ़ने से हुज़ूर—ए—अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, सहर, आसेब शयातीन से हिफाज़त होगी और चेचक, बीमारी वग़ैरह मुख़्तलिफ़ चीज़ों में मुख़्तलिफ़ तरीके से पढ़ने को बताया गया है, जबकि यह दुरूद किसी भी हदीस से साबित नही है, बल्कि इस दुरूद में शिर्किया कलिमात हैं।

1) दुरूद—ए—ताज में मौजूद शिर्किया अल्फ़ाज़

دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ○

(यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बला, परेशानी, क़हत मर्ज़ और रंज को दूर करने वाले हैं।)
(पाकिस्तानी पंजसूरह, सफ़ : 144)

- यह अलफ़ाज़ शिर्किया हैं क्योंकि बला, परेशानी, कहत मर्ज़ और रंज को दूर करने की ताकत अल्लाह तआला ही को हासिल है।

आइए देखते हैं कुरआन क्या कहता है—

कुरआन में है – وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

तर्जुमा :— और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अल्लाह शिफ़ा देता है।
(सूर : शुअ़रा, आयत नं 80)

इस आयत से साफ़ तौर से पता चलता है कि : मर्ज़ बीमारी को दूर करने वाला अल्लाह है जबकि दुरूद–ए–ताज में इस आयत की मुख़ालफ़त मौजूद है। दुरूद–ए–ताज के बारे में उलेमा–ए–दीन और मुफ़्तीयान–ए–किराम क्या कहते हैं ? आइए जानते हैं।

1) दुरूद–ए–ताज का हुक्म

(1) सवाल :– उलेमा–ए–दीन अल्लाह तआला तुम पर रहम फ़रमाए। क्या फ़रमाते हैं दुरूद–ए–ताज की फ़ज़ीलत और सवाब और उसके सुबूत के बारे में अक्सर अवाम ख़ासकर जाहिलों में मशहूर है। और उसके अल्फ़ाज़ रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निस्बत रखते हैं। जिसमें

دافع بلا و وبا و قحط و مرض و الم (دکھ)

(यानी आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बला, परेशानी, क़हत, मर्ज़ और रंज को दूर करने वाले हैं।)

यह कलिमात आए हैं। इसका पढ़ना और इसकी फ़ज़ीलत और सवाब का अ़क़ीदा रखना और अव्वल बात क्या यह (दुरूद–ए–ताज) शरिअ़त से साबित है या नहीं या यह शिर्क और बिदअ़त है ?

जवाब :– इस दुरूद शरीफ़ के कुछ फ़ज़ाईल बाज़ जाहिल बयान करते हैं बिल्कुल ग़लत है और इसका मर्तबा बजुज़ शारेह के यहाँ फ़रमाने के मालूम होना महाल है और इस दुरूद की तालीफ़ सदहा साल गुज़रने के बाद हुई है पस किस तरह दुरूद के इस सीग़े को बाईस–ए–सवाब क़रार दे सकते हैं ? और सही हदीसों में दुरूद शरीफ़ के जो सीग़े आए हैं। उनको छोड़ना और उसमें बहुत कुछ सवाब की उम्मीद रखना और उसका विर्द करना गुमराही है और चूँकि इसमें शिर्किया कलिमात भी हैं अवाम के अक़ीदे की ख़राबी है। लिहाज़ा इसका पढ़ना मना है। पस दुरूद–ए–ताज की तालीम देना ऐसा ही है जैसे – ईमानी ताक़त ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत से आदमी शिर्किया अ़कीदे के फ़साद में मुब्तिला हो जाते हैं। और उनकी हलाक़त की वजह बनता है । *(फ़क़त वल्लाहु ताआ़ला आलम)*

(फतावा रशीदिया, किताबुल इल्म–सफ : 169)

- ***यह जवाब , फकीह उल हिन्द हज़रत मौलाना मुफ़्ती रशीद अहम गंगोही (रहमतुल्लाहि अलैह.) का है।***

(2) **सवाल :–** क्या फ़रमाते हैं उल्मा–ए–दीन और मुफ़्तियान–ए–किराम इस मसअले के बारे में कि दुरूद–ए–ताज पढ़ सकते हैं या नहीं ?

जवाब :– दुरूद–ए–ताज में बाज़ अल्फ़ाज़ शिर्किया हैं इसलिए इसे तर्क करके (छोड़कर) दीगर दुरूद शरीफ़ जो सही सनदों से मंकूल हैं उन्हें पढ़ना चाहिए।
(किताबुन्नवाज़िल जिल्द 1, सफ : 684)

➢ *यह जवाब हज़रत मौलाना मुफ़्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम का है।*

जो लोग दुरूद–ए–इब्राहीम (नमाज़ वाला दुरूद) को छोड़कर दुरूद–ए–ताज को पढ़ते हैं, उन लोंगों से इस आजिज़ का सवाल है, कि दुरूद–ए–इब्राहीम में ऐसी कौन सी कमी है जो आप लोग दुरूद–ए–ताज को पढ़ने को तरजीह देते हैं ? हालांकि दुरूद–ए–ताज बे सनद है और दुरूद–ए–इब्राहीम ऐसी दुरूद है जो खुद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़ुबान–ए–मुबारक से निकले अल्फ़ाज़ हैं, दुरूद–ए–इब्राहीम ऐसी दुरूद है जिसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सहाबा–ए–किराम को सिखाया है बल्कि पूरी उम्मत को दुरूद भेजने का तरीका बताया है। इसीलिए उल्मा–ए–किराम फ़रमाते हैं कि दुरूद–ए–इब्राहीम सबसे अफ़ज़ल दुरूद है।
(ज़ादुस्सईद)

(2) पाकिस्तानी पंजसूरह में मौजूद ख़त्म शरीफ़ कबीर ग़ौसिया आलिया व क़ादरिया का हुक्म

इस ख़त्म शरीफ़ में एक जगह लिखा है।

يَا حَضْرَتْ شَاهْ مُحَىِّ الدِّيْنِ مُشْكِلْ كُشَا بِا الْخَيْرِ ٥

(यानी ऐ हज़रत शाह मुहय्युद्दीन हर मुश्किलें दूर करें ख़ैर के साथ)

☞ अब आप सोचें कि मुश्किलें दूर करने वाला कौन है ?

मुश्किल कुशा सिर्फ़ अल्लाह है।

कु़रआन–ए–करीम में अल्लाह तआला का इर्शाद है –

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ

<u>तर्जुमा :–</u> **और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो खु़द उस के सिवा दूर करने वाला कोई नहीं।**
(सूरः अनआ़म, आयात नं0 17)

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाजत रवां और मुश्किल कुशा है अल्लाह के अलावा न तो कोई हाजत रवां है न ही मुश्किल कुशा है , सिर्फ वही ज़ात हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है और नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसके ममलूक और वह हम सब का मालिक है। हम सब उसके दर के फ़कीर और मोहताज हैं , वह ग़नी और वह्हाब ज़ात है, हम मांगने वाले हैं और वह देने वाला है। अलगर्ज़ हम बन्दे हैं और वह आक़ा है उस करीम ज़ात का महज़ इतना करम ही काफ़ी है कि वह हम जैसे नालायक़ ग़ैर मुस्तहिक़ बल्कि मुस्तहिक़–ए–सज़ा लोगों को अपनी नेअ़मतों से नवाज़ रहा है।
(अल्लाह से मांगिए, सफः 12, मुतकल्लिमुल इस्लाम हज़रत मौलाना इलयास गुमन दामत बरकातुहुम)

(3) इसी ख़त्म शरीफ़ में एक जगह

يَا غَوْثُ اَغِثْنَا بِاِذْنِ اللّٰهِ ○

यानी ऐ गौ़स हम पर पानी बरसा अल्लाह के हुक्म से ।

इस जुमले में शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रहतुल्लाहि अलैह) से पानी बरसाने का दरख़्वास्त की जा रही है।

बारिश की मसनून दुआ :–

सूखा होने की हालत में 2 दुआएँ मंकू़ल हैं।

1. اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا ۞ (٣ بار)
2. اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ۞ (٣ بار)

(1) <u>तर्जुमा :–</u> या अल्लाह पानी पिला दीजिए हमको। *(तीन बार पढ़ें)*

(2) <u>तर्जुमा :–</u> या अल्लाह मेंह (पानी) बरसाइए हम पर। *(तीर बार पढ़ें)*

➢ गौर करने वाली बात है कि जब मसनून दुआ मौजूद हो तो फिर मसनून दुआ को छोड़कर अपनी बनाई हुई दुआ की क्या हाजत रही, इस से बढ़कर यह बात क़ाबिल–ए–ताज्जुब है, कि अल्लाह तआला को छोड़कर एक वली से दुआ की जा रहा है जो कि बिल्कुल भी दुरूस्त नहीं है।

➢ क़ाबिल–ए–फ़िक्र बात यह है कि इस जुमले में जिससे पानी बरसाने की दरख़्वास्त की जा रही है वही अल्लाह के वली शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रह.) कहते हैं कि " अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न लगाओ अपनी तमाम हाजतें अल्लाह तआला के सुपुर्द करो और उसी से अपनी ज़रूरतें मांगो अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा न करो। "
(अदयान–ए–बातिला और सिरात–ए–मुस्तक़ीम सफ : 339)

(4) ख़त्म–ए–ग़ौसिया

पाकिस्तानी पंजसूरह में सफ़: 96 पर मौजूद ख़त्म–ए–गौसिया के बारे में लिखा है कि 11 अफ़राद (लोग) एक साथ बैठकर पढ़ें और हर चीज़ 11 मर्तबा पढ़ें। पढ़ने वालों की मुरादें पूरी होंगी।

इसी ख़त्म–ए–ग़ौसिया के आख़िर में एक कलिमा :–

يَا شَيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ جِيْلَانِی شَيْئًا لِّلّٰهِ ٥

11 बार पढ़ने को लिखा है।

या शेख़ अब्दुल क़ादिर शैयअन लिल्लाह का पढ़ना कैसा ?

सवाल :– या शेख़ अब्दुल क़ादिर शैयअन लिल्लाह लिखना और बतौर–ए–वज़ीफ़ा पढ़ना कैसा है ?

जवाब :– इस जुमले में हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रह.) से कुछ अल्लाह के वास्ते मांगा गया है , मांगा खुद उन्हीं से गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वसीला बनाया गया है , यह ग़लत तरीक़ा है , यह तरीक़ा उल्टा हो गया, मांगना चाहिए था अल्लाह तआला से , वसीला उस के मक़बूल बन्दे को बना लिया जाता मगर यहाँ मामला उल्टा हो गया, इसका वज़ीफ़ा ना जाएज़ है।
(फतावा महमूदिया सफ: 181–198)

या शेख़ अब्दुल क़ादिर की जगह या अरहमर्राहिमीन पढ़ना चाहिए , जिसके क़ब्ज़ा–ए–कुदरत में शेख़ अब्दुल क़ादिर (रह.) बल्कि तमाम आलम है, खिलाफे शरअ़ अक़ीदा रखने वालों को किसी बेहतर शरई तदबीर से समझा बुझाकर राह–ए–रास्त पर लाना चाहिए।
(फतावा महमूदिया जिल्द 6, सफ: 181)

➢ *यह जवाब हज़रत मौलाना मुफ़्ती महमूद साहब (रह.) का है।*

(5) दुआ–ए–गंजुल अर्श और अहदनामा

पाकिस्तानी पंजसूरह के सफ : 98 पर लिखा है कि इस दुआ के पढ़ने वाले की रोज़ी में बरकत होगी, ग़ैब से रोज़ी अता होगी, दुशमन आजिज़ व ज़लील रहेंगे , जो इसको अपने पास रखेगा अल्लाह तआला की उस पर हर वक़्त रहमत नाज़िल हुआ करेगी वग़ैरह वग़ैरह।

दुआ–ए–गंजुल अर्श और अहदनामा की हक़ीक़त

हकीमुल उम्मत मुजद्दिद उल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रहमतुल्लहि अलैह.) लिखते हैं " दुआ–ए–गंजुल अर्श और अहद नामा ये दोनों , और बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि उनकी दुआएँ तो बहुत अच्छी हैं मगर उनमें जो सनद लिखी है और उनमें (हुज़ूर–ए–अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नाम से बड़े लम्बे–चौड़े सवाब लिखे हैं। वह बिल्कुल गढ़ी (बनाई) हुई बाते हैं।
(बहिश्ती ज़ेवर, जिल्द 10, सफः 614)

(6) रजब की (27) सत्ताईसवीं तारीख़ का रोज़ा।

पाकिस्तानी पंजसूरह के सफः 340 पर लिखा है कि रजब की 27 तारीख़ को रोज़ा रखने वाला अज़ाब–ए–क़ब्र और दोज़ख से महफ़ूज़ रहेगा। और माहे रजब के एक रोज़े का सवाब *(1000)* एक हज़ार रोज़ों के बराबर है। यह रोज़ा हज़ारवां रोज़ा के नाम से मशहूर है।

6) रजब के हज़ारवां रोज़ा की हक़ीक़त

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी (रह.) लिखते हैं कि " आम तौर पर लोग रजब की *27* तारीख़ को रोज़ा रखने को अच्छा समझते हैं। और समझते हैं कि एक हज़ार ***(1000)*** रोजों का सवाब मिलता है , इसकी कोई मज़बूत असल नहीं। अगर नफ़्ल रोज़ा रखने को दिल चाहे तो अख़्तियार है, ख़ुदा तआ़ला जितना चाहें सवाब देदें, अपनी तरफ से हज़ार या लाख रोज़ों का सवाब मुक़र्रर न समझे ।
(बहिश्ती ज़ेवर, जिल्द 4, सफः 355)

(7) पंद्रहवीं शाबान (शब–ए–बराअ़त) में मुख़्तलिफ़ तरीके से मशहूर नमाजें व वज़ाइफ़

सवाल :– क्या फरमाते हैं उल्मा–ए–दीन व मुफ़्तीयान–ए–किराम इस मसअले के बारे में कि शब–ए–बराअ़त में मुतअ़य्यन नवाफ़िल व वज़ाईफ जो अलग–अलग तरीके से तहरीर करा कर तक़सीम किए जातें हैं, तो क्या इस तरीके से मुतअ़य्यन महदूद इबादत करना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब :– शब–ए–बराअ़त में कोई ख़ास इबादत या कोई ख़ास वज़ीफा लाज़िम (ज़रूरी) नहीं है। बल्कि आसानी के साथ जिस इबादत में भी तबीअ़त लगे उसमें मशगूल होना चाहिए और आज–कल उस से मुताल्लिक़ जो तहरीर वग़ैरह तक़सीम किए जाते हैं वह अक्सर ऐतबार के लाएक़ नहीं होते इसलिए तहक़ीक के बग़ैर उन पर ऐतमाद न किया जाए।

(किताबुन्नज़िल जिल्द 1, सफः 528)

8) क़ज़ा नमाज़ के मुताल्लिक़ झूठी रिवायत

पाकिस्तानी पंजसूरह में सफः 245 पर एक दुरूद लिखी गई हैं जिसके मुताल्लिक़ लिखा गया है कि इसके पढ़ने वाले की हज़ार बरस की कज़ा नमाज़ें कुबूल हो जाएँगी। हालाँकि यह बे असल बात है।

मज़ीद एक और रिवायत आज–कल लोगों में बहुत शोहरत रखती है। रिवायत यह है – '" जो शख़्स रमज़ान के आख़री जुमा में एक फ़र्ज़ नमाज़ कज़ा पढ़ ले , तो 70 साल तक उसकी उम्र में जितनी नमाज़ें कज़ा (छूटी) हुई होंगी उन सब की अदायगी हो जाएगी।" इन दोनों रिवायतों की हक़ीक़त क्या हैं आइए जानते हैं –

➢ अल्लामा मुल्ला अली क़ारी (रह.) फरमातें हैं –

" यह रिवायत जो शख़्स रमज़ान के आख़री जुमा में एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले तो 70 साल तक की उम्र में जितनी नमाज़ें (छूटी) हुई होंगी सबकी अदायगी हो जायगी " यह रिवायत क़तई तौर पर झूठी है। क्योंकि यह हदीस उल्मा–ए–किराम के फ़ैसले के खिलाफ़ है , जबकि उल्मा–ए–किराम का फ़ैसला इस बात पर है की कोई भी इबादत सालहा साल की छूटी हुई नमाजों के क़ायम मक़ाम नहीं हो सकती।

(अल इसरारूल मर्फ़ूअ़ फ़ी अख़बारिल मौज़ूअ हदीस नं0 519)

❖ *क़ज़ा नमाजों से मुताल्लिक़ सवाल–जवाब इनशाअल्लाह आगे आएँगे।*

☞ पकिस्तानी पंजसूरह के मुताल्लिक़ एक गुज़ारिश

मोहतरम क़ारईन। जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तानी पंजसूरह में बाज़ अल्फ़ाज़ शिर्किया और बाज़ बातें बे सनद है और उनका पढ़ना क़तई नाजायज़ हैं और इसका पढ़ना ऐसा है जैसे अपनी ईमानी ताक़त ख़त्म करना, चूँकि अब यह बात आपके सामनें पूरी तरह से वाज़ेह हो चुकी हैं, इस बात के वाज़ेह हो जाने के बाद भी अगर आपने इन तमाम चीज़ों को पढ़ना न छोड़ा तो इस मिसाल ऐसी ही हैं– जैसे :– कोई शख़्स सीधे रास्ते पर चलना तो चाह रहा हो, मगर वह अपनी दोनो आँखें बंद किए हुए हो, भला इस तरह भी कोइ शख़्स अपनी मंज़िल तक पहुँच सकता है ? ऐसे शख़्स के लिए शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़रवली दामत बरकातुहुम का शेर पेशे ख़िदमत हैं।

" जब तू ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं ,
आँखे अगर जो बंद हों तो दिन में भी रात है। "

जब जानबूझकर आप अपनी आँखें बंद कर लेंगे तो दिन की रोशनी की बजाय,
आपको रात का अंधेरा ही नज़र आएगा।

इस किताब में पाकिस्तानी पंजसूरह की बाज़ ग़लत और बे सनद बातें बयान की गई हैं , जबकि बहुत सी बातें रह गई हैं और लगभग यही सब बातें सोलह *(16)* सूरह में लिखी हुई हैं जो कि बिल्कुल ग़लत हैं, फ़िक़्ह का एक क़ायदा हैं कि जिस चीज़ में फ़ायदा और नुकसान दोनो हों तो ऐसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इस पाकिस्तानी पंजसूरह में कुछ मसनून दुआएँ भी हैं मगर बहुत से वज़ाईफ , अमलियात ऐसे हैं जिसमें शिर्किया कलिमात हैं और बहुत सी बातें बे सनद हैं। यह बात आप के इल्म मे नहीं है इसी तरह बाज़ किताबें जैसे सोलह *(16)* सय्यदों की कहानी, दस *(10)* बीबियों की कहानी , वग़ैरह किताबों में भी मनगढ़त (बनाए हुए) किस्से और बिल्कुल झूठी कहानियाँ लिखी हुई हैं इसलिए आप तमाम हज़रात से गुज़ारिश है कि, इस पाकिस्तानी पंजसूरह, सोलह *(16)* सूरह, दस *(10)* बीबियों की कहानी, सोलह *(16)* सय्यदों की कहानी वगैरह किताबें जो आपको गुमराह कर सकती है ऐसी किताबों को पढ़ना छोड़ दें और यह तमाम बातें दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह तआला हम सबकी शिर्क औंर बिदआत से हिफ़ाज़त फ़रमाए , और तौहीद व सुन्नत के मुताबिक ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ! ***आमीन ।***

क्या पढ़े ?

1) मोमिन पंजसूरह

जिस में सिर्फ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से साबित दुरूद व वज़ाइफ हैं : मज़ीद

1. अल्लाह तआला के नाम व ख़्वास ,
2. कुरआन–ए–करीम की फ़ज़ीलत व ख़्वास ,
3. दुरूद–ए–पाक की फ़ज़ीलत व ख़्वास ,
4. तौबा व अस्तग़फार की फ़ज़ीलत ,
5. दुआ व अज़कार की फ़ज़ीलत।। वग़ैरह लिखी गई है।

2) मोमिन का हथियार

यह किताब हज़रत मौलाना यूनुस बिन मौलाना मुहम्मद उमर साहब (रह.) की तालीफ़ है। जिसमें मन्ज़िल मय तर्जुमा , आयात–ए–हिफाज़त, आयात–ए–शिफ़ा, सुबह व शाम की मसनून दुआएँ , अवराद व वज़ाईफ़ लिखे हुए हैं।

3) कुरआनी मुस्तजाब दुआएँ ।

आजकल लोग जिहालत की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं , और अपनी अमली ज़िन्दगी में शिर्क को जगह देकर अपने ईमान की रोशनी को गुल कर कर रहे हैं, बाज़ अमलियात ऐसे राईज हो चुके हैं जिनमें शिर्किया कलिमात मिले होते हैं ऐसे अमलियात और फ़र्ज़ी आमिलीन से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिन हज़रात को जाएज़ अमल करना हो तो वह किताब (कुरआनी मुस्तजाब दुआएँ को पढ़ें , जिसमें कुरआन–ए–करीम की आयात से, दुआएँ व अमलियात व वज़ाईफ लिखे गए हैं।

4) जिन किताबों से ज़िन्दगी सँवरती हैं।

आजकल बातिल फिरकों की किताबें बाज़ारों में फैली हुई हैं इसलिए किताबें देख कर ही लें। फ़ज़ाइल जानने के लिए शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया (रह.) की किताब फ़ज़ाईल–ए–आमाल , या जन्नत की कुन्जी पढ़े, अक़ायद व मसाईल सीखने के लिए तालीमुल इस्लाम (कामिल) किताब पढ़ें , आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नतों पर अमल करने की नियत से (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतें) किताब जो हक़ीम मौलाना अख़्तर साहब की तालीफ़ है उसे पढ़ें , मस्नून दुआओं के लिए (मस्नून व मक़बूल दुआएँ) पढ़ें।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝
तर्जुमा :– बेशक नामज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपने मुक़र्रर वक्तों में।
(सूरः निसा, आयत नं0 103)
क़ज़ा –ए– उमरी

क़ज़ा नमाज़ पढ़ने में अवाम की लापरवाही

अल्लाह तआला ने ईमान वालों पर नमाज़ को उसके मुक़र्रर वक़्त पर फ़र्ज़ किया है, इसलिए अपने वक़्त पर नमाज़ अदा करना ज़रूरी है और अगर कभी भी किसी उज़्र, बीमारी या किसी शरई मजबूरी की वजह से नमाज़ वक़्त पर अदा न कर सके तो शरिअ़त ने इस इबादत की अहमियत को पेशे नज़र उसे बाद में अदा करने का सख़्ती से हुक्म दिया है। नमाज़ के छूट जाने पर चाहिए तो यह था कि मुसलामान इस अहम इबादत के छूट जाने पर नादिम (शर्मिंदा) होते तौबा करते और शरिअ़त के हुक्म के मुताबिक अपनी कज़ा (छूटी) हुई नमाज़ो को जल्द अदा करते मगर अफ़सोस सद अफ़सोस कि बाज़ लोगों ने अपनी कम इल्मी और कम फहमी से इस मुआ़मले को भी ख़्वाहिशात के हवाले कर दिया।

एक गिरोह ने तो यह नज़रिया बना लिया कि क़ज़ा हुई नमाज़ो को अदा करने की ज़रूरत नहीं महज़ तौबा ही से काम चला लिया जाए। जबकि दूसरी तरफ अहले बिदअ़त ने इस इबादत को हुलिया बिगाड़ते हुए यह हल निकाला कि सारी ज़िन्दगी क़ज़ा नमाज़ें अदा करना बहुत दुश्वार है, इसलिए रमज़ान के आखरी जुमा को क़ज़ा–ए–उमरी के नाम से एक नई नमाज़ ईजाद की और यह कहा, कि सिर्फ़ 4 रकअ़तों को ख़ास तरीके से अदा कर लेने से सारी उम्र की नमाज़ें अदा हो जाएँगी।

जबकि उल्मा–ए–हक़ का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वह यह है कि क़ज़ा हुई नमाज़े न तो महज़ तौबा से ज़िम्मे से उतरती हैं औंर न रमज़ान के आख़री जुमा को 4 रकअ़त नमाज़ को ख़ास तरीके से पढ़ लेने से सारी ज़िन्दगी की क़ज़ा नमाज़ें अदा होती हैं। बल्कि क़ज़ा हुई नमाज़ों को अदा करना ज़रूरी है। और क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने के साथ तौबा भी करना चाहिए !

अदा और क़ज़ा किसे कहते है ?

- अदा उसे कहते हैं कि किसी इबादत को उस के मुक़र्रर वक़्त पर किया जाए, और क़ज़ा उस को कहते हैं कि किसी फ़र्ज़ या वाजिब को उस के मुक़र्रर वक़्त गुज़र जाने के बाद किया जाए। जैसे ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक्त में पढ़ ली तो अदा कहलाएगी और ज़ुहर का वक्त निकल जाने के बाद पढ़ी तो क़ज़ा समझी जाएगी।

क़ज़ा नमाज़ को अदा करने के बारे में चंद दलाईल पेशे ख़िदमत हैं –

हदीस–ए–नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

1) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि) से रिवायत है कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया कि : जो शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या सोता रह जाए , तो उस नमाज़ का कफ़्फ़ारा यही है कि जब याद आए तो नमाज़ पढ़ लें।
(सही मुस्लिम जिल्द 1,सफ़: 27)

2) हज़रत अबू उबैदह बिन अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि) ने फ़रमाया कि : ग़ज़्वा–ए–ख़न्दक़ वाले दिन मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को चार नमाज़ें पढ़ने से रोक दिया था यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा गुज़र गया, जितना अल्लाह तआला ने चाहा, फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत बिलाल (रज़ि) को हुक्म फ़रमाया तो उन्होंने अज़ान दी और फिर इक़ामत कही , पस ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी , फिर इक़ामत कही तो अस्र की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही और इशा की नमाज़ पढ़ी।
(जामेअ़ तिर्मिज़ी–सफ़:43)

अक़वाल–ए–फ़ुक़हा

1) इमाम–ए–बुख़ारी (रह.) हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) का क़ौल नक़ल करते हैं : " जिस शख़्स ने एक नमाज़ छोड़ दी तो (अगरचे) बीस ***(20)*** साल भी गुज़र जाएँ तो वह शख़्स उसी अपनी क़ज़ा शुदा नमाज़ को अदा करे।

इमान इब्न–ए–नजीम हनफ़ी (रह.) फरमाते हैं –

2) " उसूल यह है कि हर वह नमाज़ जो किसी वक़्त में वाजिब होने के बाद रह गई हो, उसकी क़ज़ा लाज़िम (ज़रूरी) है। चाहे वह नमाज़ जानबूझकर छोड़ दी हो या भूल कर या नींद की वजह से रह गई हो, छूट जाने वाली नमाज़ें ज़्यादा हों या कम (बहरहाल क़ज़ा नमाज़े पढ़ना ज़रूरी है।
(बहरूर्राईक़ जिल्द 2, सफ़:141)

नोटः– उल्मा–ए–दीन का इस बात पर फ़ैसला है कि छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना ज़रूरी है। (रहमतुल्इमामः सफ़ः 146)

फ़र्ज़ और वाजिब का हुक्म बग़ैर अदा किए साक़ित (ख़त्म) नहीं होता।

यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि फ़र्ज़ और वाजिब का हुक्म बग़ैर अदा किए ख़त्म नहीं होता चाहे कितना वक़्त गुज़र जाए , नफ़्ल का हुक्म वक़्त गुज़र जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे – इशराक चाश्त वग़ैरह का वक़्त ख़त्म होने के साथ हुक्म भी ख़त्म हो जाता है। जैसे इशराक या चाश्त के वक़्त में अगर इशराक या चाश्त की नमाज़ पढ़ ली गयी तो वक्त ख़त्म हो जाने के बाद, इशराक या चाश्त की नमाज़ का हुक्म ख़त्म हो गया, अब वह नमाज़ बक़ाया नहीं रही , क्योंकि इशराक और चाश्त की नमाज़ें नफ़्ल हैं, और फ़ज्र, ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और वित्र वाजिब है अगर इनमें से कोई नमाज़ छूट गई तो जब तक अदा नही की जाएगी, उस वक़्त तक उसका अदा करने का हुक्म जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा।

फ़तावा हिन्दिया में है –

" हर वह नमाज़ जो अपने वक़्त में वाजिब हो जाने के बाद छूट गई (अदा नहीं की गई) उसका अदा करना लाज़िम है। "
(फतावा हिन्दिया जिल्द 1,सफः 121)

वित्र की क़ज़ा पढ़ना वाजिब है।

1) ईमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं कि उन्हें यह बात पहुँची है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत उबादह बिन सामित वग़ैरह (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने फ़ज्र के बाद वित्र पढ़ी (यानी वक़्त पर वित्र की नमाज़ अदा न कर सके तो बाद में क़ज़ा पढ़ी ।)
(मुअत्ता ईमाम मालिक)

2) जो आदमी क़ज़ा नमाज़ें अदा करे वह वित्र भी अदा करे।
(फ़तावा हिन्दिया जिल्द 1, सफः 135)

1) नमाज़ की अहमियत

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उक़्बा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया : बन्दे का वह अमल जिस का क़ियामत के दिन सबसे पहले हिसाब होगा वह नमाज़ है, अगर वह अच्छी निकल आयी तो उसके सारे अमल अच्छे होंगे, और अगर बेकार साबित हुई तो सारे अमल बेकार होंगे।
(तिबरानी जिल्द 1 सफः 245)

2) क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने की अहमियत और ज़रूरत

आम तौर पर वक्तिया नमाज़ों पर ज़ोर दिया जाता है मगर क़ज़ा हुई नमाजों की परवाह नहीं की जाती हालांकि छूटी हुई नमाज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी वक़्तिया नमाज़ें , बल्कि छूटी हुई नमाज़ें अदा करने से अपनी नमाज़ों की तकमील है। छूटी हुई नमाज़ें अदा करने की ख़ासियत यह है कि वह शख़्स पाँच वक्तों कि नमाज़ों का पाबन्द हो जाता है। और जो शख्स छूटी हुई नमाज़ों की परवाह नहीं करता वह पाँच वक़्त की नमाज़ों का भी पाबन्द नहीं हो पाता, पाबन्द नमाज़ी वही है। जो अगर किसी वजह से उसकी नमाज़ छूट जाए तो जब उसको मौका मिले अपनी छूटी हुई नमाज़ अदा कर ले।

3) फ़र्ज़ नमाज़ की कमी नफ़्ल नमाज़ नमाज़ से पूरी होने का मतलब

नमाज़ की कमी की दो सूरतें हैं पहली सूरत तादाद की कमी, दूसरी सूरत फज़ीलत की कमी, तादाद की कमी यह है कि जितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हों वह सब की सब अदा अदा न हों और फ़ज़ीलत की कमी यह है कि अल्लाह तआला की तरफ ध्यान और खुशूअ़, खुज़ूअ़ फ़र्ज़ नमाज़ में जितना होना चाहिए, उतना न हो यह कमी नफ़्ल नमाज़ से पूरी की जाएगी, तादाद की कमी बग़ैर अदा किए किसी तरह पूरी नहीं हो सकती।

(जिसको इसकी तफ़्सील देखना हो वह फ़तावा महमूदिया, जिल्द 8, सफ :382—83) का हाशिया देखे।

4) नफ़्ल नमाजों में मशगूल रहकर क़ज़ा हुई नमाज़ों से ग़ाफिल रहना बड़ी नादानी की बात है।

यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज़ चाहे वक़्त की हो या क़ज़ा, नफ़्ल के मुक़ाबले में बहुत बुलन्द है। लिहाज़ा नफ़्ल नमाजों में मसरूफ रहना और क़ज़ा नमाजों से बे ख़बर रहना बहुत बड़ा नुकसान है।

यह बात मुसल्लम है फ़र्ज़ नमाज़ की तकमील के बग़ैर नफ़्ल नमाज़ में कोई फ़ज़ीलत नहीं , क़ियामत के दिन हिसाब के वक़्त नफ़्ल नमाज़ की कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी कि तुमने नफ़्ल नमाज़ क्यूँ नहीं पढ़ी ? मगर फ़र्ज़ नमाज़ के बारे में सवाल किया जायगा कि तुम्हारे ऊपर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थीं उनमें से कितनी नमाज़े अदा कीं और कितनी बक़ाया छोड़ दीं ?

मसअला – नवाफ़िल कसरत से अदा करने की जगह फ़ौत शुदा (क़ज़ा) नमाज़ों का पढ़ना अफ़ज़ल है इसलिए कि क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मे में क़र्ज़ की तरह हैं , तो जैसे – नफ़्ली सदक़ात अदा करने से क़र्ज़ अदा करना अफ़ज़ल है उसी तरह नवाफ़िल की जगह क़ज़ा नमाजों को अदा करना अफ़ज़ल हैं।
(रद–उल–अख़्वान सफ़: 12)

➢ ***फ़तावा तातारख़ानिया में है –***
क़ज़ा हुई नमाज़ों को अदा करने में मशगूल होना , नवाफ़िल में मशगूल होने से औला और अहम है।
(फ़तावा तातारख़ानिया जिल्द 2 , सफ़: 385)

5) क़ज़ा नमाज़ें कब से अदा करें ?

पहले ये गौर करें कि हम कितने दिनों से पाँच वक्त की नमाज़ के पाबन्द हुए हैं , उस तारीख़ तक अपनी उम्र से ना बालिग़ी का अरसा जो पंद्रह *(15)* साल है निकालकर देखें कि कितना अरसा बाकी रहा , उतने दिनों की क़ज़ा –ए– उमरी नमाज़ अदा करें । जैसे कोई शख़्स बीस साल की उम्र में पाँच वक़्त की नमाज़ का पाबन्द हुआ तो उसके पंद्रह *(15)* साल ना बालिग़ी के निकालकर पाँच *(5)* साल बाक़ी रहे , लिहाज़ा वह शख़्स पाँच साल की क़ज़ा –ए– उमरी नमाज़ अदा करेगा।
(फ़तावा हिन्दिया जिल्द 1 सफ़: 121)

➢ 6) लड़का /लड़की कब बालिग़ होते हैं ?

लड़के के बालिग़ होने की तीन *(3)* निशानियाँ हैं –

1. एहतलाम – सोने की हालत में मनी का निकलना ।
2. इंज़ाल – किसी दूसरी वजह से मनी का निकलना।
3. अहबाब – उसके जिमअ़ करने से हमल ठहरना।

इसी तरह लड़की के बालिग़ होने की भी तीन *(3)* निशानियाँ हैं।

1. हैज़ – महीने का खून आना।
2. एहतलाम – ख़्वाब की हालत में मनी का निकलना।
3. हबल – हमल का ठहरना।

- ***नोट :–*** अगर लड़का या लड़की में इन निशानियों में से कोई निशानी पूरी हो गयी तो वह बालिग़ माना जाएगा , उम्र चाहे 12 या 13 ही क्यूँ ना हो , और अगर लड़का या लड़की में इन निशानियो में से कोई निशानी ना पाई जाए तो बहरहाल मुफ़्ता बही क़ौल के मुताबिक़ पंद्रह *(15)* साल की उम्र हो जाने की हालत में दोनों को बालिग़ माना जाएगा और शरिअ़त के अहकाम उन पर जारी किए जाएंगे। जैसा कि फ़तावा महमूदिया में है –

  " वह उम्र जिसमें लड़का या लड़की के बालिग़ होने का हुक्म लगाया जाता है , वह है जबकि वह दिनों पंद्रह *(15)* साल की उम्र के हो जाएँ । "
  (फ़तावा तातारख़ानिया जिल्द 14 , सफ़: 280, फ़तावा महमूदिया जिल्द 11, सफ़: 599)

- बालिग़ होने पर नमाज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं , मगर अपने बच्चों को सात *(7)* साल की उम्र में ही नमाज़ का हुक्म देना चाहिए , ताकि नमाज़ पढ़ने की आदत बने और बालिग़ होने तक पक्का नमाज़ी बन जाए।

नमाज़ का हुक्म – रसूल –ए– अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इर्शाद –ए– मुबारक है कि : " अपने बच्चों को सात साल की उम्र में नमाज़ का हुक्म दिया करो। दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़ने की वजह से उन्हें मारो और इस उम्र में पहुँचकर (बहन–भाई) को अलाहिदा–अलाहिदा बिस्तरों पर सुलाओ।
(अबूदाऊद)

फायदा :– मार ऐसी हो कि जिससे कोई जिस्मानी नुकसान न पहुँचे नीज़ चेहरे पर न मारें।

7) क़ज़ा नमाज़ें किस–किस वक़्त अदा कर सकते हैं ?

फ़तावा हिन्दिया में है –

" क़ज़ा नमाज़ें अदा करने के लिए कोई वक़्त मुतअ़य्यन नहीं , बल्कि तीन वक़्तों के अलावा उनको अदा करने के लिए पूरी उम्र का वक़्त है – 1) सूरज के निकलने का वक़्त , 2) ज़वाल का वक़्त (जब सूरज बीच (CENTER) में आ जाए) , 3) सूरज के डूबने का वक़्त , इन वक़्तों में नमाज़ पढ़ना जाएज़ नहीं।
(फ़तावा हिन्दिया जिल्द 1 , सफ़: 121)

➢ ***नोट :–*** क़ज़ा नमाज़ किसी वक़्त की भी हो तीन वक़्तों के अलावा हर वक़्त अदा कर सकते हैं , ऐसा नहीं है कि फ़ज्र की फ़ज्र ही के वक़्त , ज़ोहर की क़ज़ा ज़ोहर ही के वक़्त अदा करें , बल्कि हर नमाज़ हर एक वक़्त में अदा कर सकते हैं , जैसे फ़ज्र की इशा के वक़्त या वित्र की क़ज़ा ज़ोहर के वक़्त अदा कर सकते हैं। और यह भी नहीं कि एक वक़्त में एक ही क़ज़ा पढ़ें , बल्कि एक वक़्त में जितनी नमाज़ें पढ़ने की ताकत हो पढ़ लें , एक वक़्त में एक दिन की पाँचों कज़ा नमाज़ें भी अदा कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी।

8) क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ते वक़्त नियत किस तरह करें ?

जब क़ज़ा हुई नमाज़ का वक़्त याद हो मसलन् कल की आज की या फुलां दिन की , तब क़ज़ा नमाज़ की नियत इस तरह करना चाहिए कि मैं फुलां दिन की फ़ज्र या ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ता हूँ । सिर्फ़ यह नियत कर लेना कि ज़ोहर या फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं।

सवाल :– अगर किसी के ज़िम्में बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों और उसे दिन याद न हो जैसे– उसने महीने दो महीने बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ी , और उसे ये तो मालूम है कि मेरे ऊपर फ़ज्र की मसलन् तीस *(30)* नमाज़ें , और इसी तरह ज़ोहर , अस्र , वग़ैरह की नमाजें हैं , लेकिन उसे महीना याद न हो कि किस महीने की नमाज़ें छूटी थीं तो यह शख़्स नियत किस तरह करे ?

जवाब :– ऐसी सूरत में जब किसी नमाज़ , जैसे फ़ज्र की क़ज़ा करे तो इस तरह नियत करे कि मेरे ज़िम्मे जितनी भी फ़ज्र की नमाज़ें बाक़ी हैं उन में से पहली फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ या उन में से आख़िरी फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ , इसी तरह जो नमाज़ क़ज़ा करे उसकी नियत इसी तरीके से करना चाहिए ।

नोट :– जब किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों तो और उसे दिन और वक़्त याद न हो तो हर बार इसी तरह नियत करे कि , मेरे ज़िम्मे जितनी भी फ़ज्र या ज़ोहर की नमाज़ें बाक़ी हैं उनमें से पहली फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ या उनमें से पहली ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ , हर बार पहली नमाज़ की ही नियत करें , क्योंकि जब पहली नमाज़ पढ़ लेने के बाद अदा हो जाएगी , तो आपके ज़िम्मे जो दूसरी नमाज़ थी वह पहली बन जाएगी , इसलिए दूसरी फ़ज्र पढ़ता हूँ या तीसरी , चौथी पढ़ता हूँ इस तरह नियत नहीं की जाएगी , बल्कि हर बार पहली क़ज़ा हुई नमाज़ की नियत की जाएगी ।

फ़ज्र की सुन्नतें

फ़ज्र की सुन्नतें अगर फ़र्ज़ के साथ क़ज़ा हो जाएँ तो ज़वाल से पहले उन को भी फ़र्ज़ के साथ क़ज़ा पढ़ लेना चाहिए, और ज़वाल के बाद पढ़ें तो सिर्फ़ फ़र्जों की क़ज़ा पढ़ें।

क़ज़ा नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है।

क़ज़ा नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है, और मस्जिद में पढ़ लें तो भी कोई मुज़ाएक़ा नहीं लेकिन किसी से ज़िक्र न करें कि मैंनें यह नमाज़ क़ज़ा पढ़ी है क्योंकि अपनी क़ज़ा नमाज़ों का दूसरों से ज़िक्र करना मकरूह है।

(फतावा हिन्दिया जिल्द 1, सफः 112, फतावा तातारखनिया जिल्द 2 सफः 454, तालीमुल इस्लाम जिल्द 4, सफः 41–43)

नमाज़ के छोड़ देने पर वईद

1) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इर्शाद है कि : नमाज़ का छोड़ना मुसलमान को कुफ़्र व शिर्क तक पहुँचाने वाला है।

(मुस्लिम)

वज़ाहत :– उलमा ने इस हदीस के कई मतलब बयान फ़रमाए हैं जिसमें से एक यह है कि बेनमाज़ी गुनाहों के करने पर बेबाक हो जाता, जिसकी वजह से उसके कुफ़्र में दाख़िल होने का ख़तरा हैं। दूसरा यह कि बेनमाज़ी के बुरे ख़ात्मे का अंदेशा है।

(मिरक़ात)

2) एक हदीस में है कि : जिस शख़्स की एक नमाज़ भी फ़ौत हो गई वह ऐसा है गोया कि उसके घर के लोग और माल वह दौलत सब छीन लिया गया हो।

(इब्नेहब्बान)

3) नबी–ए–अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इर्शाद है कि जो शख़्स दो नमाज़ों को बिना उज़्र के एक वक़्त में पढ़े, वह कबीरा गुनाहों (बड़े गुनाहों) के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर पहुँच गया।

(फ़जाईल–ए–आमाल / फ़ज़ाइल–ए–नमाज़ सफः 39)

नोट :– असल नमाज़ वही है जो वक़्त पर पढ़ी जाए, जैसा की हदीस मे आता है कि सहाबा–ए–किराम (रज़ि) ने पूछा सबसे अफ़ज़ल अमल क्या है ? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ना , लेकिन वक़्त में न पढ़ सके तो माफ़ नहीं हो जाती बल्कि ज़िम्में में फ़र्ज़ रहती हैं इसलिए गफ़लत या बे इल्मी की वजह से बाज़ लोगों की बालिग़ होने के बाद से कई–कई सालों की नमाजें रह जाती हैं , जिनकी कज़ा पढ़ना ज़रूरी है। जिन हज़रात की बहुत सी नमाज़े बाक़ी हों, उनकी कज़ा पढ़ने का आसान तरीक़ा यह है कि पहले, एक अन्दाज़ा क़ायम करके कि इतने दिनों कि नमाज़ें रह गई होंगी। अपनी डायरी में लिख लें फ़िर हर वक़्ती नमाज़ के साथ एक वक़्त की क़ज़ा भी पढ़ लें , मसलन् – फ़ज्र के साथ फ़ज्र , ज़ोहर के साथ ज़ोहर, और नवाफ़िल की जगह कज़ा को तरजीह दें, इस तरह रोज़ाना एक दिन की कज़ा नमाज़ अदा होती रहेंगी, जो कुल बीस *(20)* रकअ़त है , जितने दिनों की नमाजें बाक़ी होंगी उतने दिनों में अदा हो जाएँगी, कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो बेहतर है, बहरहाल रोज़ाना एक दिन की पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।

अवाम में मशहूर ग़लत बातें ।

1) मशहूर है कि खिल खिलाकर हँसने से वुजू टूट जाता है, यह ग़लत है, अलबत्ता नमाज़ में खिलखिलाकर हँसने से वुजू टूट जाता है ।

2) औरतों में मशहूर हैं कि औंरतें मर्दों से पहले नमाज़ न पढ़ें यह ग़लत है।
(अग़लातुल अवाम सफः 38)

3) मशहूर है कि वित्र में जिसको दुआए कुनूत न याद हो वह तीन मर्तबा सूरह इख़्लास (कुल्हुवल्लाहु अहद) पढ़ ले, यह दुरूस्त नहीं है, जिसे दुआ–ए–कुनूत न याद हो उसे *(रब्बना आतिना फिद्दुनया)* आख़िर तक पढ़ना चाहिए, अगर यह दुआ भी न याद हो तो *(अल्लाहुम्मग़फिरली)* तीन बार पढ़ें ।
(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द 2 सफः 103)

4) बाज़ लोग शब–ए–बराअत के हलवे के मुताल्लिक़ कहते हैं कि हुज़ूर–ए–अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दन्दान (दाँत) मुबारक शहीद हुआ था। (तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हलवा नोश फरमाया था) यह बिल्कुल बे सनद और ग़लत क़िस्सा है इसका अक़ीदा रख़ना हरगिज़ जाएज़ नही बल्कि अक़्ल के भी ख़िलाफ़ है, क्योकि यह वाक़िया शव्वाल में हुआ था न कि शाबान में, बाज़ लोग अमीर हमज़ा (रज़ि) की शहादत कहते है यह भी गलत है, क्योंकि उनकी शहादत भी शव्वाल में हुई थी।

(अग़लातुल अवाम सफः 17)

5) बाज़ लोग ये ऐतक़ाद रखते हैं कि शब–ए–बराअ़त वग़ैरह मे मुर्दों की रूहें घरों में आती हैं। इसकी कोई असल नहीं , मुर्दों की रूह के दुनिया में आने का ख़याल ग़लत है, क्योंकि जो नेक हैं वह दुनिया मे आना नहीं चाहते और जो बद (बुरे) हैं उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकती।

(अग़लातुल अवाम सफः13)

6) बाज़ औरतें नमाज़ पढ़ने के बाद जा नमाज़ का किनारा यह समझकर उलट देना ज़रूरी समझती हैं कि शैतान उस पर नमाज़ पढ़ेगा। इस बात कोई असल नहीं।

7) बाज़ लोग रात को झाड़ू देने , कंघा करने, नाखून काटने मुँह से चिराग़ गुल करने को बुरा समझते हैं, इसकी कोई असल नहीं।

(अग़लातुल्अवाम सफः103) ,

फ़तावा हिन्दिया में है – हारून रशीद (रह.) ने ईमाम अबू यूसुफ़ (रह.) से नाखुन काटने के बारे में सवाल किया , तो आप ने फ़रमाया – ख़ैर के काम में देर न किया करो , और रात को नाख़ुन काट लो , सुबह का इन्तिज़ार न करो।

(फ़तावा हिन्दिया जिल्द 5 ,सफ़ा 308)

8) मशहूर है कि किसी का सतर खुला हुआ नज़र पड़ने से वुज़ू टूट जाता है, यह ग़लत है , अलबत्ता सतर (जिन आज़ा का छुपाना फ़र्ज़ है।) उसका देखना बड़ा गुनाह है।

(अग़लातुल्अवाम सफः28)

9) बाज़ औरतें कुरआन–ए–करीम ही पर सजदा कर लेती हैं , इससे सजदा अदा नहीं होता, और ज़िम्मे से नही उतरता जिस तरह नमाज़ का सजदा किया जाता है, उसी तरह तिलावत का सजदा भी करना चाहिए।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द 2 सफः 114)

10) मशहूर है कि हामिला औरत के चंद ग्रहण के दिन सो जाने पर नुकसान होगा। ये बे सनद बात हैं।

11) बाज़ लोग समझते हैं कि नए कपड़े, जूते वगैरह पहनने से उसके ज़िम्मे हिसाब तो होता है, मगर रजब से रमज़ान तक या ईद तक पहनने से हिसाब नही लिया जाएगा, यह सब गलत बाते हैं।

12) बाज़ लोग समझते हैं छिपकली के जिस्म या कपड़े से टकराने से वह नापाक हो गए और पाक होने के लिए गुस्ल के पानी मे सोने की अंगूठी डालकर नहाते हैं यह बेअसल बात है , छिपकली के टकराने से इनसान नापाक नहीं होता, न ही कपड़े नापाक होते हैं।

13) आम तौर पर कह दिया जाता है कि हम तो दुनियादार हैं। यह बात ग़लत है, मुसलमान को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुनियादार तो काफ़िर हैं, मुसलमान तो साहिब–ए–दीन है।
(अशरफुल्उलूम)

14) मशहूर है गैर शादीशुदा अगर चमचा चाट ले या भगौने में से चाट कर खाए तो उसकी शादी में पानी बरसता है। यह बात बे सनद है।

15) मशहूर है अस्र और मग़रिब के दर्मियान खाना, पीना बुरा है, यह बे असल बात है।

16) बाज़ लोग लबों को (यानी होंठ के नीचे के बाल) को बिल्कुल ही मुंडा देते हैं, जबकि लबों को कतरवाना इस क़द्र की लब के बराबर हो जाएँ सुन्नत है, और मुंडवाने मे इख़्तिलाफ़ है, बाज़ उल्मा बिदअ़त कहते हैं, बाज़ इजाज़त देते हैं , लिहाज़ा न मुंडवाने मे ही एहतियात है।
(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द 2, सफः114)

17) अवाम में पढ़ी जाने वाली सोलह (16) सय्यदों की कहानी, या दस (10) बीबियों की कहानी, बिल्कुल बे सनद है।

18) मशहूर है कि लड़का/लड़की 18 साल पर बालिग़ होते हैं ग़लत है, यह भारत का कानून है। इस्लाम में जब बलाग़त की निशानियाँ पाई जाएँ तब लड़का/लड़की बालिग़ हैं, चाहे उम्र 13–14 ही हो अगर निशानियाँ ज़ाहिर न हों तो बहरहाल मुफ़्ता बही क़ौल के मुताबिक पंद्रह साल में दोनों बालिग़ माने जाएँगे।

19) बहुत से लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर को चल देते हैं , ख़ुतबा नहीं सुनते , जबकि ख़ुतबा का सुनना वाजिब (ज़रूरी) है ।

20) बाज़ लोग मुहर्रम के महीने को मनहूस समझते हैं , हालांकि यह महीना मुबारक है, मुहर्रम के मानी ही मोहतरम , मोअज़्ज़म और मुक़द्दस के हैं।

गुज़ारिश

आप तमाम क़ारईन से गुज़ारिश है कि इस किताब को पढ़ लेने बाद, दूसरो को इस किताब से फ़ायदा हासिल करने का मौक़ो ज़रूर दें ! जज़ाकल्लाहु ख़ैर !

❖ *अल्लाह तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन !*

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم ،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ،
برحمتك يا ارحم الراحمين ۞

تمت با الخير (الحمدلله)